

राष्ट्रीय लोक अदालत  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 120/2020

राजेन्द्र पुत्र सुन्दरलाल जाति बैरवा निवासी जेतलहेडी तहसील मांगरोल

.....वादी

बनाम

राजरथान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांक: 03.11.2020

निर्णय दिनांक : 11.02.2023

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 168 खसरा नं0 349 रकबा 1.16 है0 कुल किता 1 रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम जेतलहेडी तहसील मांगरोल, आराजी खाता संख्या 132 खसरा नं0 292 रकबा 0.10 है0 कुल किता 1 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम जेतलहेडी तहसील मांगरोल एवं आराजी खाता संख्या 141 खसरा नं0 104 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 105 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 106 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 107 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 291 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 293 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 296 रकबा 0.58 है0, खसरा नं0 342 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 350 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 369 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 391 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 92 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 93 रकबा 0.02 है0 कुल किता 13 रकबा 4.01 है0 वाके ग्राम जेतलहेडी तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र सुन्दरलाल के स्थान पर रामदयाल पुत्र सुन्दरलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम राजेन्द्र पुत्र सुन्दरलाल है। जिसको वादी रामदयाल पुत्र सुन्दरलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र सुन्दरलाल दुरुस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, जनआधार आदि में राजेन्द्र पुत्र सुन्दरलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में रामदयाल पुत्र सुन्दरलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र सुन्दरलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामदयाल पुत्र सुन्दरलाल के स्थान राजेन्द्र पुत्र सुन्दरलाल दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:-राजस्व/2022/1170 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार राजेन्द्र को बचपन में रामदयाल के नाम से भ्रूणी पुकारा जाता था एवं राजेन्द्र एवं रामदयाल पुत्र